उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

अशंदायी भविष्य निधि योजना इकाई
14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ

संख्या : 3950 /ट्रस्ट/ दिनांक :8/11 सितम्बर,2004

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0
लखनऊ ।

विषय: अशंदायी भविष्य निधि योजना के सम्बन्ध में निर्गत आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अशंदायी भविष्य निधि योजना लागू किये जाने सम्बन्धी निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 1274–पी0एण्ड आर/28 पाकालि/2004–8काविनी/01 दिनांक 18.06.2004 का सन्दर्भ ग्रहण करें । सचिव ट्रस्ट द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किए गये है उनके अशंदायी भविष्य निधि खातों के आवंटन का कार्य किया जा चुका है, परन्तु संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के बिन्दु 'घ' जिसके अन्तर्गत अशदाता एवं नियोक्ता के अशदान के बैंक ड्राफ्ट के साथ कर्मचारी का सम्पूर्ण विवरण यथा नाम, पदनाम, खाता संख्या, मूलवेतन कार्मिक एवं नियोक्ता का अशंदान आदि की जो सूचना आपके कार्यालय द्वारा ट्रस्ट को उपलब्ध कराई जानी थी, उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 14.01.2000 के पश्चात् नियुक्ति समस्त कार्मिकों का अशंदायी भविष्य निधि का अशंदान संदर्भित ज्ञाप के बिन्दु 'घ' में निर्देशित व्यवस्था के अनुसार कर्मचारी अशदान एवं नियोक्ता अशंदान निर्धारित सूचना, ड्राफ्ट के साथ अपने कार्यालय स्तर से संकलित कराकर ट्रस्ट कार्यालय को शीघ्रतिशीघ्र अपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे ट्रस्ट स्तर पर यथावंछित कार्य समुचित रूप से किया जा सके ।

भवदीय

(एस0के0 अगवाल)
निदेशक (वित्त)

पत्र संख्या /ट्रस्ट/ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी अशंदायी भविष्य निधि योजनान्तर्गत निर्गत निर्देशों के शीघ्र अनुपालन हेतु:–

1. महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ ।
2. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय,

भवदीय

(एस0के0 अग्रवाल)
निदेशक (वित्त)